न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1476 –पी.बी.आर./2005 – विरूद्व आदेश दिनांक 13–7–2005 पारित व्दारा – आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल - प्रकरण कमांक 32/2003–04 निगरानी

लाल सिंह पुत्र सूरत सिंह
ग्राम कड़का तहसील सिरोंज जिला विदिशा ---- आवेदक

विरूद्व

मध्य प्रदेश ---- अनावेदक

(आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री एस0पी0धाकड़ एंव श्री डी0एस0भदौरिया)
(अनावेदक की ओर से पैनल लायर)

आ दे श

(आज दिनांक 4 –8–2015 को पारित)

यह निगरानी आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल व्दारा प्रकरण कमांक 32/2003–04 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 13–7–2005 के विरूद्व म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि ग्राम कुडका स्थित भूमि सर्वे कमांक 201/2 रकबा 32.887 हैक्टर चरनोई से काविलकास्त घोषित की गई। आवेदक ने नायव तहसीलदार सिरोंज को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मांग की कि ग्राम कुड़का स्थित भूमि सर्वे कमांक 201/2 का अंशभाग 2.000 हैक्टर (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि सम्बोधित किया गया है) पर वह पिछले 20 वर्षो से अतिक्रामक होकर खेती करते आ रहा है इसलिये वादग्रस्त भूमि का उसे व्यवस्थापन किया जावे। नायव तहसीलदार सिरोंज न प्रकरण कमांक 10 अ–19/1993–94 पंजीबद्व किया।

तथा जांच एंव सुनवाई उपरांत आदेश दिनांक 24-5-99 से दो हेक्टर भूमि 60 गुणा प्रीमियम जमा कराते हुये आवेदक को व्यवस्थापित कर दी। नायव तहसीलदार के उक्त प्रकरण का कलेक्टर विदिशा ने परीक्षण किया तथा अंतरिम आदेश दिनांक 29.5.2000 से 2.366 हैक्टर भूमि व्यवस्थापित करना मानते हुये प्रकरण स्वमेव निगरानी में पंजीबद्व कर आवेदक को कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्णय लिया। वाद में यह प्रकरण अपर कलेक्टर विदिशा को निराकरण हेतु प्राप्त होने पर प्रकरण कमांक 119/1999-2000 स्वमेव निगरानी में पंजीबद्व किया गया तथा आदेश दिनांक 22.1.2004 पारित कर आवेदक के हित में नायव तहसीलदार सिरोंज व्दारा किया गया व्यवस्थापन निरस्त कर दिया। इस आदेश के विरूद्व आवेदक व्दारा आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई जो आदेश दिनांक 13-7-2005 से अवधि-वाह्य मानकर निरस्त कर दी गई। इसी आदेश के विरूद्व यह निगरानी है।

2/ निगरानी मेमो में उठाए गए बिन्दुओं पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदक के अभिभाषक ने तर्कों में बताया कि अपर कलेक्टर के आदेश दिनांक 22--1--04 के विरूद्व जानकारी के दिन से निगरानी समयावधि में प्रस्तुत की गई थी। अपर कलेक्टर के आदेश की जानकारी समय पर न होने का तथ्य बताते हुये अवधि विधान की धारा-5 का आवेदन एंव पुष्टिकरण में शपथ पत्र दिया गया, किंतु आयुक्त व्दारा वास्तविक तथ्यों को जाने बिना विलम्ब क्षमा नहीं किये जाने में भूल की है। शासन के पैनल लायर ने बताया कि आयुक्त के समक्ष निगरानी अतिविलम्ब से प्रस्तुत की गई, जिसके कारण विलम्ब क्षमा नहीं किया गया है।

उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्कों पर विचार किया गया एंव आयुक्त, भोपाल संभाग के समक्ष प्रस्तुत अवधि विधान की धारा-5 के आवेदन एंव पुष्टिकरण में प्रस्तुत शपथ पत्र के तथ्यों का अवलोकन किया गया। आयुक्त व्दारा माना गया है कि उनके समक्ष निगरानी तीन माह वाद प्रस्तुत की गई है जबकि निगरानी प्रस्तुत करने के लिये 60 दिवस की समयसीमा निर्धारित है इसलिये निगरानी प्रस्तुत होने में हुआ विलम्ब उन्होंने क्षमा नहीं किया है। आवेदक व्दारा आयुक्त भोपाल संभाग के समक्ष प्रस्तुत अवधि विधान की धारा--5 के आवेदन पद-3 में बताया है कि उसके व्दारा सिरोंज में फीस अदा करके बकील नियुक्त कर दिया गया था किन्तु

उसके अधिवक्ता श्री महेश्वरी ने उसे आदेश दिनांक 22.1.04 की जानकारी समय पर नहीं दी, जिसके कारण जानकारी होने पर उसने 20.4.04 को प्रमाणित प्रतिलिपि का आवेदन दिया और इसी दिन प्रमाणित प्रतिलिपि मिलने पर 21.4.04 को निगरानी प्रस्तुत कर दी है। विचार योग्य बिन्दु है कि आयुक्त भोपाल संभाग व्दारा विलम्ब के संबंध में निकाला गया निष्कर्ष – कि 60 दिवस विलम्ब से निगरानी प्रस्तुत हुई है, अथवा 90 दिन के अंतराल से प्रस्तुत निगरानी आवेदक व्दारा बताये गये कारणों के आधार पर मात्र 30 दिवस का विलम्ब क्षमा योग्य है अथवा नहीं ? **जुगलकिशोर असाटी विरूद्व म0प्र0राज्य 191 राजस्व निर्णय 225 में न्यायिक दृष्टांत प्रतिपादित किया गया है कि अधिवक्ता की त्रृटि के लिये पक्षकार को दंडित नहीं किया जा सकता।**

भू राजस्व संहिता 1959 म0प्र0 – धारा 47 एंव परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा –5 – सामान्यतः तकनीकी आधार पर मामले के गुणागुण की उपेक्षा नहीं की जाना चाहिये एंव पर्याप्त कारण पाये जाने पर उदार–रूख अपनाया जाकर विलम्ब क्षमा करना चाहिये। यह भी विचारणीय बिन्दु है कि आवेदक गॉव का निवासी है एंव उसके व्दारा अपर कलेक्टर न्यायालय में पैरवी हेतु अभिभाषक नियुक्त किया गया, जिसके कारण ऐसे पक्षकार को अभिभाषक की त्रृटि के कारण दंडित करना नैसर्गिक न्याय के सिद्वांतों के अनुकूल नहीं है। अतः आयुक्त, भोपाल संभाग,भोपाल व्दारा विलम्ब के सम्बन्ध में निकाला गया निष्कर्ष त्रृटिपूर्ण पाये जाने से उनके व्दारा पारित आदेश दिनांक 13–7–2005 स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

5/ आवेदक के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि आवेदक ने कब्जे के कार्यकाल से वादग्रस्त भूमि को मेहनत करके उबड़ खाबड़ से कृषि योग्य बनाया है नायब तहसीलदार ने वादग्रस्त भूमि पर 1980 से आवेदक का कब्जा प्रमाणित होने एंव भूमिहीन प्रमाणित होने के आधार पर भूमि व्यवस्थापित की है। आवेदक ने उन्नत कृषि के उद्वेश्य से एंव अधिक पैदावार लेने के लिये सिंचाई के साधन स्वरूप ट्यूब वैल लगाकर धन व श्रम व्यय किया है तथा इसी भूमि पर वह वर्ष 1999 से रहवासी मकान बनाये हुये है, यदि आवेदक की भूमि वापिस ले ली गई तो उसके सामने परिवार के पालन–पोषण की तथा रहवास की समस्या खड़ी हो जावेगी।

यदि आवेदक के अभिभाषक के तर्को पर मानवीय दृष्टिकोण से विचार किया जावे – **इन्दरसिंह तथा अन्य विरूद्व म0प्र0 शासन 2009 राजस्व निर्णय 251 का न्यायिक दृष्टांत है कि भूमि का आवंटन किया गया – सरकारी भूमि घोषित नहीं की जा सकती – क्योंकि सरकारी पदाधिकारियों व्दारा गल्तियां की गई है – प्रशासनिक अधिकारियों व्दारा की गई प्रकियात्मक त्रृटि के लिये पात्र भूमिहीन बंटिती को आवंटन के लाभ से बंचित नहीं किया जा राकता।** नायव तहसीलदार के प्रकरण में संलग्न खसरा की प्रमाणित प्रतिलिपियों के अवलोकन से वादग्रस्त भूमि पर आवेदक का कब्जा वर्ष 1980 से होना पाया गया है, परन्तु प्रकरण में आये तथ्यों एंव न्यायिक दृष्टांतों की अनदेखी करते हुये अपर कलेक्टर विदिशा ने नायव तहसीलदार सिरोंज के आदेश 24.5.1999 को निरस्त करने में भूल की है तथा आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल ने भी प्रकरण के तथ्यों की तह में न जाते हुये विलम्ब के आधार पर आवेदक व्दारा प्रस्तुत निगरानी निरस्त करने में भूल की गई है जिसके कारण आयुक्त, भोपाल संभाग भोपाल का आदेश दिनांक 13.7.2005 एंव अपर कलैक्टर विदिशा व्दारा पारित आदेश दिनांक 22.01.2004 स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल व्दारा प्रकरण कमांक 32/2003–04 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 13.7.2005 तथा अपर कलेक्टर विदिशा व्दारा प्रकरण कमांक 119/99–2000 स्वमेव निगरानी में पारित आदेश दिनांक 22.01.2004 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते हैं । परिणामतः नायव तहसीलदार सिरोंज व्दारा प्रकरण कमांक 10 अ–19/1993–94 में पारित आदेश दिनांक 24–5–99 से ग्राम कुड़का स्थित भूमि सर्वे कमांक 201/2 के अंशभाग 2.000 हैक्टर के बन्टन का आदेश स्थिर रहने से शासकीय अभिलेख में आवेदक का नाम पूर्ववत् दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर